कार्यालय जिला परिषद, जहानाबाद।

सैरातों की बन्दोबस्ती की आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, जहानाबाद की बैठक दिनाक 25.07.2016 में पारित प्रस्ताव के कंडिका–6 के आलोक में जहानाबाद जिले मे जिला परिषदीय भूमि पर एवं अपर सचिव पंचायती राज विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 4679/प०रा० दिनांक 24.07.2019 तथा अनुमण्डल पदाधिकारी के पत्रांक 199/रा० दिनांक 17.03.2020 के आलोक में अन्य संचालित विभिन्न प्रखण्डो/शहरी क्षेत्रों में संचालित सब्जी मंडी, हॉट बाजार, सिन्दुरिया मिला इत्यादि का सैरात निर्माणत: अस्थायी वार्षिक बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए नीचे अंकित जिला परिषदीय भूमि पर सैरातो की बन्दोबस्ती ... द्वारा विकास भवन, जहानाबाद मे 11 बजे पूर्वाह्न में नीचे अंकित तिथियों को की जायेगी।

क्र.	जिला परिषदीय सैरातों की विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	अग्रधन की जमा राशि 10%	प्रथम डाक की तिथि	द्वितीय डाक की तिथि (बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में)	तृतीय डाक की तिथि (बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में)
1	जहानाबाद टेटा स्टेशन चाणक्या होटल के निकट अवस्थित जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर–350 प्लॉट नम्बर–131 पर सचालित सब्जी मंडी का बन्दोबस्ती।	2,47,250.00	24,725.00	18.02.2021	24.02.2021	01.03.2021
2	टेहटा जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 1090 प्लॉट नम्बर 3605 एवं 3611 पर एवं पुरे बाजार सड़क किनारे लगनेबाले हाट बाजार की बन्दोबस्ती।	2,69,100.00	26,100.00	18.02.2021	24.02.2021	01.03.2021
3	बन्धुगंज जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 109 प्लॉट नम्बर 07 पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	89,125.00	8,913.00	18.02.2021	24.02.2021	01.03.2021
4	शकुराबाद जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 02 प्लॉट नम्बर 45 पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	3,23,150.00	32,315.00	18.02.2021	24.02.2021	01.03.2021
5	हुलासगंज जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 125 प्लॉट नम्बर 1300, 932, 702/1311 पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	1,13,045.00	11,305.00	18.02.2021	24.02.2021	01.03.2021
6	घोषी जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 1055 प्लॉट नम्बर 5311, 5312 एवं 5313 पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोवस्ती	2,88,824.00	28,882.00	18.02.2021	24.02.2021	01.03.2021
7	अरवल मोड से बभना दुर्गा मन्दिर तक जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 857 नया प्लॉट नम्बर 3500, खाता नम्बर 181 पुराना एवं प्लॉट नम्बर 11, 14 एवं 15 पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	64,745.00	6,475.00	18.02.2021	24.02.2021	01.03.2021
8	काको मोड से चमडा गोदाम तक जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 350 प्लॉट नम्बर 317, 500 एवं खाता नम्बर 53 प्लॉट नम्बर 35 पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	3,18,550.00	31,855.00	18.02.2021	24.02.2021	01.03.2021
9	बतीस भवरिया पुल के निकट दुर्गा मन्दिर से जमुने पुल तक एवं अम्बेदकर चौक से एरकी पेट्रोल पम्प तक जिला परिषदीय भूमि खाता संख्या 468 प्लॉट नम्बर 829/1772, 930, 816, 711 एवं 727 पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	67,850.00	6,785.00	18.02.2021	24.02.2021	01.03.2021
10	हुलासगंज सब्जी हाट (हुलासगंज)	2,65,823.00	26,583.00	18.02.2021	24.02.2021	01.03.2021
11	काको पी०डब्लू०डी० सब्जी हाट बाजार (काको)	3,28,905.00	32,891.00	18.02.2021	24.02.2021	01.03.2021

शर्तें:–

1. डाक मे भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को डाक के पूर्व आचरण प्रमाण–पत्र जमा करना होगा एवं जिला परिषद में कोई बकाया नही है इस आशय का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
2. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को सुरक्षित जमा का 10% राशि अग्रधन के रूप मे डाक में भाग लेने के पहले जिला परिषद नजारत श्री नितेश कुमार, नाजीर के यहाँ नगद/बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
3. सफल डाक वक्ता द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि का समायोजन बन्दोबस्ती की राशि में एक मुस्त कर ली जाएगी तथा शेष व्यक्तियों को अग्रधन की जमा की राशि वापस कर दी जायेगी।
4. विभागीय नियमानुसार बन्दोवस्ती लेने वाले व्यक्ति को बन्दोबस्ती की राशि का मुद्रांक शुल्क के रूप में 6 प्रतिशत एवं निबन्धन शुल्क के रूप में 2% कुल 8% राशि तथा स्कैनिंग फिस पॉच सौ रूपये अलग से जमा करना अनिवार्य होगा।
5. डाक में सफल होने वाले व्यक्ति को डाक की पुरी राशि एक मुस्त डाक समाप्ति के उपरांत तुरन्त जिला परिषद नजारत, श्री नितेश कुमार, नाजीर के यहाँ जमा करना होगा।
6. डाक में सफल होने वाले व्यक्ति द्वारा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अग्रधन की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय डाक वक्ता के साथ बन्दोबस्ती की जायेगी।
7. बन्दोबस्ती लेने वाले व्यक्ति द्वारा सैरात भूमि पर किसी भी तरह का स्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेंगे।
8. बन्दोबस्ती लेने वाले व्यक्ति को जिला परिषद द्वारा पूर्व में बन्दोबस्त स्थायी दुकानदारों से किसी प्रकार का चुंगी वसूल नहीं करना होगा।
9. राजस्व विभाग अथवा जिला परिषद द्वारा निर्धारित चुंगी ही वसूलनीय होगी।
10. उच्चतम डाक की पुरी राशि जमा करने एवं चूंगी की बसूली का कार्यादेश निर्गत करने के उपरांत एकरारनामा निबंधित किया जायेगा।
11. कार्यादेश निर्गत करने के उपरांत ही उच्चतम डाक वक्ता चुंगी वसूली के हकदार होंगे।
12. बिना पूर्व सूचना के एवं कारण बताये बन्दोवस्ती हेतु निर्धारित तिथि एवं समय में परिवर्तन करने तथा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
13. विवाद की स्थिति में किसी भी वैधानिक कार्रवाई का कार्य क्षेत्र जहानाबाद होगा।

नोट:– बन्दोवस्ती संबंधी विशेष जानकारी जिला परिषद् कार्यालय, जहानाबाद एवं जिला के बेवसाईट **www.jehanabad.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

ह०/–
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, जहानाबाद।